प्रेषक,

माध्यमिक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
गौतम पब्लिक स्कूल,
गाजियाबाद ।

पत्रांक सं. शिक्षा-म-५५१५-७१ /९८-९९ दिनांक 16-11-98

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन स्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक - - 12-11-98 - - में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 644/15-4-97-18 एल(7)89 शिक्षा (4) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा । से 8 तक) स्तर की नवीन स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है ।

प्रतिबन्ध:- विद्यालय की स्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण करा ली जाती ।

2- प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजज ऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा ।

3- विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से संबंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्पुष्टि के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये ।

4- समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।

5- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप में रखा जायेगा । भवनशुल्क/ कैपिटेशनफीस के रूप में कोई भी धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा ।

6- मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महंगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे ।

7- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा ।

कृ०प० 3८

Principal
Gautam Public School
P-Block, Sec-12, Pratap Vihar, GZB.

Manager
Gautam Public School
P-Block, Sec-12, Pratap Vihar, GZB.

8-विद्यालय मे शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढाई जायेगी । विद्यालय मे अस्वीकृत पुस्तको का प्रयोग नही किया जायेगा ।

9-विद्यालय मे सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चो का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा ।

10-विद्यालय मे समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओ की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

11-विभाग मे कार्यरत कर्मचारियो के बच्चो एवं आश्रितो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।

12-विभागीय आदेशो का पालन किया जाये ।

13-विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओ पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए ।

14-विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियो द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमो और समय समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालन करेगा ।

15-विभागीय आदेशो/नियमो की अवेहलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

16-जिन विद्यालयो के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रो को बैठाये तथा भविष्य मे विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षो का निर्माण कराये ।

भवदीय,

(सहायक शिक्षा निदेशक (बे.)
प्रथम मण्डल, मेरठ

पृ0 सं. शि.स./ /९८-९९ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियो की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1-अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक-) उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0, इलाहाबाद
3-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - गाजियाबाद
4-उप बेसिक शिक्षा अधिकारी - - - - - - - -
5-शिक्षा अधिकारी/अधीक्षिका नगर क्षेत्र - - - - - - गाजियाबाद
6-क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी - - - - - -
7- समाज कल्याण अधिकारी - - - - - - -

Principal
Gautam Public School
P-Block, Sec-12, Pratap Vihar, GZB.

Manager
Gautam Public School
P-Block, Sec-12, Pratap Vihar, GZB.

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।